

हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
प्रशासकीय सुधार विभाग

दिनांक जून 30, 2016

संख्या 7/31/2014-3ए0आर0,—हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक, 15 फरवरी, 2016 की अनुसूची में, क्रम संख्या 46 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
46 (क)	"आवकारी तथा कराधान विभाग	पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम संख्या 16) तथा इसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन पंजीकरण / अनुमति पत्र प्रदान करना	15 दिन	संबंधित जिले का मनोरंजन कराधान अधिकारी	संबंधित जिले का उप आवकारी तथा कराधान आयुक्त	संबंधित रेंज का संयुक्त आवकारी तथा कराधान आयुक्त" ।

डी0एस0 देसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

**HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT
NOTIFICATION**

The 30th June, 2016

No. 7/31/2014-3AR.- In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, in the Schedule, after serial number 46, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
46 (A)	"Excise and Taxation Department	Grant of registration certificate/ Permission under the Punjab Entertainment Duty Act, 1955 (Punjab Act 16 of 1955) and rules framed there under	15 days	Entertainment Tax Officer of the concerned district	Deputy Excise and Taxation Commissioner of the concerned district	Joint Excise and Taxation Commissioner of the concerned range".

D.S. Dhesi
Chief Secretary to Government, Haryana

R/S
30/6/16